किसका काम है औषधि मूल्य-नियंत्रण?

एस. श्रीनिवासन

यह विडम्बना ही है कि अपने बजटीय भाषण में वित्तमंत्री ने तो ड्रग प्राइस कण्ट्रोल ऑर्डर के अधीन आने वाली औषधियों की संख्या में कटौती की घोषणा की है लेकिन औषधियों के मूल्य निर्धारण के सिलसिले में सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रपट में ऐसी किसी कटौती की सिफारिश नहीं की गई है।

सन् 2001-2002 के बजट को सकारात्मक रूप से प्रभावशाली कहा गया था और औद्योगिक जगत इसको लेकर काफी खुशियां मना चुका है। वित्तमंत्री ने अपने बजट-भाषण के दौरान औषधि उद्योग से वादा किया था कि ड्रग प्राइस कण्ट्रोल ऑर्डर (डी.पी.सी.ओ.) के अन्तर्गत आने वाली औषधियों की संख्या में कटौती की जाएगी। डी.पी.सी.ओ. के अन्तर्गत फिलहाल 74 औषधियां और इनके संयोजन आते हैं। बाज़ार में बेचे जाने वाले कुल औषधि उत्पादों का ये 35 प्रतिशत हिस्सा होती हैं। औषधीय उद्योग इसे कम से कम 20 प्रतिशत पर लाना चाहेगा। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग एथॉरिटी (एन.पी.पी.ए.) वह दूसरा क्षेत्र है जिसमें यह उद्योग कार्यवाही करना चाहता है। एन.पी.पी.ए. उन थोड़ी-सी सरकारी संस्थाओं में से एक है जो उद्योग जगत के उस्तादों से टकराने और कीमतें कम करने का साहस कर रही है। इस संदर्भ में हाल ही का एक उदाहरण है रेनिटिडीन और पेनिसिलिन की कीमतों में बहुप्रतीक्षित कमी।

हो सकता है हम आप कहें कि डी.पी.सी.ओ. के कामकाज पर निगाह रखना तो पेट्रोलियम पदार्थ और रसायन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र की चीज़ है। इस तरह से वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में डी.पी.सी.ओ. के अधीन आने वाली औषधियों में कटौती की घोषणा के औचित्य पर तो सवाल उठता ही है। इससे एक और भी बात ज़ाहिर होती है, कि सरकार का बायां हाथ उसके ही दाएं हाथ की गतिविधि से या तो बेखबर है या बेखबर बना रहना चाहता है। साल भर से कुछ ही पहले सरकार ने औषधि उद्योग से सम्बंधित दो समितियां नियुक्त की थीं; एक मूल्य नियंत्रण को लेकर और दूसरी शोध और विकास (R&D) को लेकर। दोनों ही समितियां अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं। मूल्य-निर्धारण से सम्बंधित रिपोर्ट वर्ष 1999 के आखिरी दिनों में पेश की गई थी।

समिति के सदस्यों ने अमरीका, मैक्सिको, कनाडा, मिस्त्र आदि देशों की यात्राएं कीं। इटली, जर्मनी, जापान, इंग्लैण्ड, नीदरलैण्ड्स, स्विट्ज़रलैण्ड, इण्डोनेशिया और कोलम्बिया की मूल्य प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की गई। इस अध्ययन से जो बात उन्हें समझ में आई वह आम धारणाओं के विपरीत थी। तथाकथित मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी औषधियों का मूल्य निर्धारण वहां के बाज़ार के हाथ में नहीं सौंपा गया है। समिति की रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि ''प्रत्येक दवा के लिए, चाहे वह आयातित हो या देश के ही भीतर निर्मित, किसी उचित सरकारी प्राधिकरण से बिक्री की मंजूरी प्राप्त करना तथा उसका पंजीयन कराना बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। अनेक देशों ने औषधीय उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए प्रतिपूर्ति मूल्य निर्धारण, रेफरेंस मूल्य निर्धारण, पेटेंटेड उत्पाद मूल्य निर्धारण जैसी पद्धतियां अपनाई हुई हैं। कुछ देशों में थोक विक्रेताओं और औषधि निर्माताओं के लिए मान्य लाभांश की सीमा निर्धारित कर दी गई है। कुछ दूसरे देशों में विपणन की मंजूरी प्राप्त करते वक्त ही कीमतों को पंजीकृत कराने पर ज़ोर दिया गया है। इसके अलावा समुचित स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अनेक योजनाएं हैं जो या तो सरकारी निधि से संचालित हैं या स्वास्थ्य और बीमा के क्षेत्र में सक्रिय निजी कम्पनियों